न्यायालय मुन्सिफ
सोनपुर सारण।
बंटवारा वाद सं0—82 सन् 1984
मिथलेश्वरी देवी......................वादिनी।
बनाम
अवधेश किशोर प्रसाद व अन्य...............प्रतिवादीगण।

दिनांक—06.01.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 08.11.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 08 दिनेश प्रसाद की मृत्यु दिनांक 22.01.2019 को हो गई तथा प्रतिवादी सं0 08 'ख' विरेन्द्र प्रसाद की मृत्यु दिनांक 02.02.2017 को हो गई है। दोनों प्रतिवादी बाहर रहते हैं जिसके कारण समय के अंदर जानकारी नहीं हो सकी। फिदवीया वृद्ध महिला है कानून की जानकारी नहीं है जानबूझकर आवेदन देने में विलंब नहीं की है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त दोनों प्रतिवादी के कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा अबेटमेंट सेटएसाइट करने हेतु दाखिल किया गया है।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी प्रतिवादी सं0 08 दिनेश प्रसाद वो प्रतिवादी सं0 08 'ख' विरेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया

है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 08.11.2019 को 1000/–रूपये वादी के खर्च पर विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।